

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, सुलतानपुर की अध्यक्षता में आयोजित जनपदीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति/इन्फेन्सिटी उपसमिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 की कार्यवृत्ति।

बैठक में उपस्थित सदस्य-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर०सी०एच०, सुलतानपुर।
5. सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी, सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र सुलतानपुर।
6. सार्वजनिक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, सुलतानपुर।
7. डा० उर्मिला चौधरी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
7. डा० वी०बी० सिंह, सल्यक, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
8. डा० वी०पी अग्रवाल, निरक्षेपक, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
9. डा० गोपाल रजक, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
10. श्री ज्ञान प्रकाश, जिला शासकीय अधिवक्ता, दीवानी न्यायालय परिसर, सुलतानपुर।
11. श्रीमती अनाया देवी, मैट्रन, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
12. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एच०, सुलतानपुर।
13. डिप्टिक कन्सल्टेन्ट, क्वालिटी एश्योरेन्स, सुलतानपुर।

कार्यवाही

जनपदीय क्वालिटी एश्योरेन्स समिति/इन्फेन्सिटी उपसमिति की बैठक दिनांक-18.05.2017 को अपराह्न 4 बजे जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।

जिलाधिकारी महोदय की अनुमति से बैठक को प्रारम्भ करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा सार्वजनिक प्रतिभागियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा निम्नानुसार बैठक हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा एवं समीक्षा करते हुए निर्णय लिया गया।

- जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स सम्बन्धी नीतियों एवं चिकित्सालयों के अधीक्षक, क्वालिटी टीम एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेन्स यूनिट के सदस्यों का कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य एवं दायित्वों के बारे में पुनः अवगत कराया गया।
- चिकित्सा इकाइयों पर बनी कमेटीयों के बारे में जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा अवगत कराया गया जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधीक्षकों एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कमेटीयों की समन्वयक बैठक आयोजित की जाय एवं उनकी कार्यवृत्ति बनाकर क्वालिटी एश्योरेन्स सेल को अवगत कराया जाय।
- जनपद स्तर पर विभिन्न चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप विगत वर्ष में प्राप्त इन्टरनल एसेसमेंट तथा पीयर एसेसमेंट का स्कोर प्रस्तुत किया गया तथा कायाकल्प अवाई योजना 2017-18 के लिए चिन्हित चिकित्सा इकाइयों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
- निर्धारित कायाकल्प कैलिब्रिटी चैक लिस्ट के अनुसार चिकित्सालयों पर बनी क्वालिटी टीम द्वारा वैचारिक इन्टरनल एसेसमेंट स्कोर, गैप चिन्हित करना तथा गैप सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सभी चिन्हित चिकित्सा इकाइयों के अधीक्षकों द्वारा इकाइयों पर चैक लिस्ट से सम्बन्धित सुधारामक कार्यों पर पहल तथा बायोमेट्रिकल वेस्ट का स्टोरेज एवं निस्तारण किया जाना।

कायाकल्प अवाई योजना का प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत अभियान' की दिशा में कायाकल्प अवाई योजना जिसके अन्तर्गत चिकित्सालयों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की गयी।
- कायाकल्प अवाई योजना के अन्तर्गत कि-टायर एसेसमेंट मूल्यांकन- यदि कोई भी विभिन्न चिकित्सा इकाई इसमें 70 प्रतिशत से अधिक स्कोर करता है तो उसका पीयर एसेसमेंट और जो चिकित्सा इकाई पीयर एसेसमेंट में 70 प्रतिशत स्कोर करते हैं उनका बाध्य मूल्यांकन में नामित कर अवाई के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कायाकल्प अवाई योजना के अन्तर्गत मानक चिकित्सालयों के छः डिपैटिक एरिया के आधार पर मूल्यांकन कराया जाना है तथा उनमें अपेक्षित सुधार के निर्णय लिये गये।

चिन्हित चिकित्सालयों का कायाकल्प चैकलिस्ट के आधार पर मूल्यांकन

- चिकित्सालयों के छः डिपैटिक एरिया का इन्टरनल एसेसमेंट/पीयर एसेसमेंट स्कोर प्रस्तुत किया गया एवं प्रमुख गैप दूर करने के निर्णय लिये गये।
- चिकित्सालय के रज-रखाव के क्षेत्र में चिन्हित चिकित्सालयों में प्रमुख गैप जैसे कीटल ट्रेन लगवाने, अस्पताल के मुख्य द्वार पर चिकित्सालय का नाम राज्य पॉलिसी के अनुसार लिखा होना एवं प्रकार सहित होना, मुख्य क्षेत्र का लेन्थरबीनिंग एवं गार्डनिंग, हार्डल गार्डनिंग, वाहन स्टैण्ड, कन्वनेशन कक्ष तथा अस्पताल में पब्लिक ट्राफिक इत्यादि विषयों में गैप दूर करने हेतु निर्देशित किया गया।
- जिलाधिकारी महोदय ने जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट को निर्देशित किया कि जिला पुरुष चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, ए०सी०एच०/गान ए०सी०एच०, सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र 24x7 के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों तथा क्वालिटी टीम द्वारा कैलिब्रिटी क्वालिटी इम्पूवमेंट चैकलिस्ट का उपयोग करते हुए इन्टरनल एसेसमेंट का स्कोर प्राप्त कर एवं चिन्हित गैप को दूर किये जाने की कार्ययोजना बनाकर अगले त्रैमासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करें।
- अस्पताल एवं मरीजों से सम्बन्धित व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता के क्षेत्र में चिकित्सालय के विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मीयर, मरीजों के उपयोग में आने वाले वस्तुओं का आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापन किये जाने का निर्देश दिया गया।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी चिकित्सालयों पर उपयोग हो रहे जल का निरीक्षण, पानी के टैंक की सफाई तथा सभी कार्यरत कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कराया जाये और सभी कर्मचारियों को उनके चर्च के अनुसार ड्रेस एवं नेम प्लेट की व्यवस्था कताना सुनिश्चित कराये।
- चिकित्सालय में एवं परिसर में पैदा होने वाले बायोमेट्रिकल वेस्ट का निस्तारण की दिशा में कर्मचारियों के सामयिक प्रशिक्षण एवं साहित्य, लिक्विड वेस्ट का बी०एच०के० 2016 नियमों के आधार पर

उनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित हो तथा अनुबन्धित एजेंसी द्वारा समय से वेस्ट का निस्तारण न किये जाने पर दण्डात्मक (जुजतान न किये जाने सम्बन्धी) कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- अस्पताल के बाहर एवं अस्पताल के परिसर में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के विषय में मरीजों को विभिन्न आई०ई०सी० पोस्टर एवं अन्य साधनों के माध्यम से चिकित्सालय स्तर से सूचना दी जाये एवं कर्मचारियों, स्टाफर्स को दिये गये कायाकल्प प्रशिक्षण के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय के आन्तरिक निरीक्षण के दौरान आयी कमियों के निराकरण हेतु विशेष केंद्रीयकरण की आवश्यकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं की चर्चा पर अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सी०एच०एच०/ए०सी०एच०आई०सी० गैप दूर करने हेतु उपलब्ध बजट का अवलोकन करें एवं सम्बन्धित विषय पर बजट के आधार पर प्रत्येक माह के गैप क्लोजर की कार्ययोजना बनाकर विनियत अवधि में प्रस्तुत करें एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उपलब्ध/निर्धारित चैकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण करें एवं गैप क्लोजर की रिपोर्ट कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सुधारामक कार्यवाही की जा सके।

क्वालिटी एश्योरेन्स सेल के प्रभन के सम्बन्ध में

- समिति की बैठक में जैसा कि इसका उद्देश्य भी है कि जे०ए०के० के सदस्यों (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक) के द्वारा चिन्हित चिकित्सा इकाइयों का निरीक्षण किया जाये एवं वहां होने वाले सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियों का उपलब्ध/निर्धारित चैकलिस्ट के आधार पर गैप क्लोजर की रिपोर्ट कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करें जिससे सुधारामक कार्यवाही की जा सके।
- जनपद क्वालिटी एश्योरेन्स समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सन्तोष व्यक्त करते हुए सार्वजनिक प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नवीन कार्यक्रम है इसमें सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए इसे पूरे मनोयोग से सफल बनायें।

कैलिब्रिटी प्लानिंग एवं इन्फेन्सिटी कमेटी के अन्तर्गत हुए असफल नसबन्दी केस की समीक्षा

कैलिब्रिटी प्लानिंग एवं इन्फेन्सिटी समिति के अन्तर्गत शामिल केसों पर विस्तृत चर्चा करते हुए सात असफल नसबन्दी केसों की चर्चा की गयी जिसका विवरण जनपदीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट द्वारा निम्नवत् किया गया-

1. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री उमेश निषाद, पूरे बसन्त चन्दार धनपतगंज ग्राम व पोस्ट कु०मु० नदीया, सुलतानपुर।
2. श्रीमती जगपती देवी पत्नी श्री रामपाल निषाद, कादीपुर खुर्द परगना अर्दमक सुलतानपुर।
3. श्रीमती कमलेश पत्नी श्री दरगाही लाल यादव ग्राम पूरे अहिरन कपड़पुर, दूबेपुर सुलतानपुर।
4. श्रीमती सविता पत्नी श्री संजय सिंह बेला परिषद, कुड़वार सुलतानपुर।
5. श्रीमती रेनु सिंह पत्नी श्री राज कुमार चर्च धनरथम सिंह, डीह मिखारी, जजराही, जमालपुर दोस्तापुर सुलतानपुर।
6. श्रीमती सविता पत्नी श्री लाल बहादुर निषाद, म्हुबन, जयसिंहपुर सुलतानपुर।

7. श्रीमती बिन्दू पाण्डेय पत्नी श्री रविकान्त पाण्डेय, ग्राम राधवपुर सुकुल पोस्ट दामोदर जयसिंहपुर सुलतानपुर।

उपरोक्त लाभार्थियों द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुलतानपुर को असफल नसबन्दी की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त करायी गयी किन्तु क्लेम फार्म प्राप्त करने के उपरान्त सभी लाभार्थियों द्वारा राजकीय दिशा-निर्देशानुसार 90 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा नहीं करताया गया जिससे उक्त क्लेम फार्म पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

बैठक के अन्त में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देश दिया गया तथा सार्वजनिक प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर

मुख्य विकास अधिकारी
सुलतानपुर

जिलाधिकारी
सुलतानपुर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर

पत्रांक: मु०चि०ओ०/डी०एच०ए०सी०/2017-18/

दिनांक /05/2017

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेन्स एन०एच०एच० लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति सुलतानपुर।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कैजाबाद मण्डल कैजाबाद।
5. मण्डलीय क्वालिटी कन्सल्टेन्ट कैजाबाद मण्डल कैजाबाद।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, सुलतानपुर।
8. सार्वजनिक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु०/प्रा०स्वा०केन्द्र जनपद सुलतानपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सुलतानपुर।